



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः— एफ—६ () उपा.राज. (सा.प्र.)/ननिज/2015/153

दिनांकः— 16.12.2015

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सिनेमा फिल्मों के पोस्टर प्रदर्शन हेतु विज्ञापन साइटों की खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउण्ड फ्लौर पर कमरा नं. 123 के बाहर निम्न कार्यक्रमानुसार की जायेगी :—

क्र. सं.	नगर निगम के समस्त जोन	दिनांक व समय	अमानता राशि
1.	40 फिल्मी पोस्टर्स साईट	30.12.2015 को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक	फिल्मी पोस्टर के 40,000/- रु. (चालीस हजार रुपये)

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त फिल्मी पोस्टर विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 221 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फिल्मी पोस्टर्स स्थानों की सूची
नीलामी दिसम्बर 2015

क्र. सं.	स्थान का विवरण
1.	स्टेशन रोड, राजपूताना शैरेटन होटल जाने वाले रोड के कोने पर
2.	एम.आई.रोड़, जीपीओ से पहले टैक्सी स्टैण्ड होमगार्ड ट्रैनिंग सेण्टर के दीवार के समानान्तर।
3.	स्टेशन रोड़, पुलिस लाईन के सामने, समानान्तर।
4.	झोटवाड़ा रोड, जनाना अस्पताल के पास
5.	झोटवाड़ा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने, चौराहे की तरफ
6.	झोटवाड़ा रोड, पानीपेच नेहरू नगर जाने वाले रास्ते के सामने, इन्द्रा कॉलोनी पार्क के पास
7.	शास्त्री नगर, कांवटिया सर्किल बस स्टैण्ड के पास
8.	क्लेकट्री सर्किल, कबीर मार्ग के कोने पर
9.	संसार चन्द्र रोड, जालूपुरा बड़ी मस्जिद वाली गली के तिराहे पर चांदपोल की तरफ देखते हुये।
10.	संसार चन्द्र रोड, एम.एल.ए. क्वार्टर्स, जालूपुरा के कोने पर
11.	संसार चन्द्र रोड, सिविल डिस्पेंसरी के बाहर
12.	सहकार सर्किल, पेट्रोल पंप के सामने परिवहन मार्ग आरओबी दीवार के समानान्तर।
13.	हसनपुरा, जेकब रोड, रेल्वे कॉलोनी चौराहे पर
14.	4 नम्बर डिस्पेंसरी, अजमेर रोड़
15.	गोर्वमेन्ट प्रेस, लक्ष्मीपथ रोड़ पर एम.ई.एस. की दीवार के समानान्तर।
16.	सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाउस चौराहा पर पी.एच.ई.डी. की दीवार के समानान्तर।
17.	एम.आई. रोड, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ मार्ग पर जानवरों के अस्पताल के पास
18.	एम.आई. रोड, आकाशवाणी के बाहर शनि मन्दिर के पास
19.	एम.आई. रोड, सरावगी मेन्शन के सामने
20.	एम.आई. रोड, मान प्रकाश के सामने रामनिवास बाग की दीवार के सहारे तिराहे पर
21.	महावीर मार्ग, सरस्वती मार्ग के सामने

22.	महावीर मार्ग, जय क्लब के सामने तिराहे पर
23.	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के बाहर, बजाज नगर की ओर
24.	टोंक रोड़, अजमेरी गेट, सांगानेर जाने वाले बस स्टैण्ड के पास
25.	टोंक रोड़, अजमेरी गेट, बस स्टैण्ड एमजीडी स्कुल की दीवार के पास सरस्वती मार्ग के कोने पर
26.	टोंक रोड़, सूचना केन्द्र डिग्गी हाउस जाने वाले रास्ते के कोने पर
27.	टोंक रोड़, आरोग्य मार्ग महाराजा कॉलेज की दीवार के पास
28.	टोंक रोड़, लक्ष्मी विलास होटल की कम्पाउण्ड के बाहर कोने पर
29.	टोंक रोड़, नारायण सिंह तिराहा नारायण निवास के सामने
30.	टोंक रोड़, सुबोध कॉलेज रिजर्व बैंक पेट्रोल पंप के पास
31.	टोंक रोड़, यूनिवर्सिटी रोड़ प्राकृतिक चिकित्सालय की दीवार के पास
32.	टोंक रोड़, नेहरू पैलेस सब्जी मण्डी के पास
33.	टोंक रोड़, गांधी नगर रेलवे स्टेशन बजाज उद्योग के पास
34.	दुर्गापुरा डालडा फैक्ट्री के सामने, आरओबी से पहले दीवार के पास समानान्तर।
35.	टोंक रोड़, लालकोठी स्कीम, विधानसभा रोड़
36.	टोंक रोड़, बरकत नगर रेलवे क्रोसिंग के सामने
37.	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पिछे जे.पी.फाटक के सामने
38.	सहकार मार्ग, इमली फाटक के सामने
39.	टोंक रोड़, गांधी नगर रेलवे स्टेशन रोड़ पर दीवार के समानान्तर।
40.	मोतीझुंगरी रोड़, धर्मसिंह सर्किल पर गणेश जी के मंदिर की ओर
41.	मोतीझुंगरी रोड़, खरबूजा मण्डी पम्प हाउस के पास
42.	राजापार्क एलबीएस कॉलेज के सामने पार्क की दीवार के पास
43.	जवाहर नगर माहेश्वरी स्कुल के पास बस स्टैण्ड सेक्टर 4
44.	जवाहर नगर मामा होटल के आगे जवाहर नगर मार्केट में
45.	गोविन्द मार्ग दशहरा मैदान के सामने तिराहे पर
46.	आगरा रोड़, अंकुर सिनेमा के सामने गली के कोने पर
47.	आगरा रोड़ अग्रवाल कॉलेज के सामने पेट्रोल पंप की गली के कोने पर
48.	न्यू गेट रामलीला मैदान के सामने रंगमंच की दीवार के पास
49.	आमेर रोड़, जोरावर सिंह गेट के पास पारस सिनेमा के सामने
50.	आमेर रोड़, रामगढ़ मोड़ आमेर की तरफ देखते हुये
51.	जनता कॉलोनी पिंक स्क्वायर मॉल के सामने, आदर्श नगर तिराहे पर

Hm.



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फिल्मी पोस्टर्स साईट्स नीलामी : दिसम्बर 2015

जयपुर नगर निगम के सीमा में सिनेमा फिल्मों के पोस्टर्स हेतु विज्ञापन पट्टू स्थलों की स्वीकृति फिल्मी पोस्टर नीलामी निम्न शर्तों पर दी जायेगी।

1. विज्ञापन पट्टू निगम द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार लगाये जावेंगे। विज्ञापन पट्टू का आकार 10 फीट ऊंचाई एवं 10 फीट लम्बाई का होगा एवं सड़क सतह से 17 फीट से ऊंचा नहीं होगा एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित डिजाईन अनुसार ही बनाना होगा।
2. फिल्मी पोस्टर हेतु विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. ऐसे सभी पट्टू सड़क के साथ की दीवारों के समानान्तर दीवार के अधिकतम निकटस्थ, स्थल पर लगाये जायेंगे। ऐसे विज्ञापन पट्टू को स्थापित करने फिल्मी पोस्टर्स लगाने की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकृति लाईसेन्सी की होगी।
4. सूची अनुसार निर्धारित सभी फिल्मी पोस्टर्स साईट्स की नीलामी विज्ञापित सूचना अनुसार एक ही बोली द्वारा (सभी स्थानों के लिए एक बोली) की जायेगी। नीलामी बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म को रु. 40,000/- अक्षरें चालीस हजार रूपये नकद अमानता के रूप में निगम में मौके पर जमा कराने होंगे। स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि लाईसेन्स की अवधि तक निगम कोष में जमा रहेंगे एवं शेष एवं शेष असफल बोलीदाता को मौके पर अमानता राशि वापस कर दी जायेगी।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फिल्मी पोस्टर साईट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि तीन समान किश्त 01 अप्रैल 2016, 01 जुलाई 2016, 01 अक्टूबर 2016 एवं सर्विस टैक्स की राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा करानी होगी। जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं 75 प्रतिशत राशि एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि तीन समान किश्त 01 अप्रैल 2017, 01 जुलाई 2017, 01 अक्टूबर 2017 एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. ऐसे विज्ञापन पट्टू के लाईसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे स्वीकृत विज्ञापन पट्टू के अलावा अन्य किसी स्थान पर फिल्मों के पोस्टर न लगे। बिना स्वीकृत पट्टू के अलावा अन्य स्थान पर फिल्मों के पोस्टर लगते हैं तो लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्च पर उन्हें 24 घण्टे के अंदर हटवाना होगा। उपयुक्त स्वीकृत पट्टू के अलावा अन्य स्थानों पर लगे फिल्मी पोस्टर्स सूचना के 24 घण्टे के बाद भी लगे रहे तो अनुज्ञाधारी से रूपये 100 प्रति पोस्टर्स प्रतिदिन जुर्माने के रूप में वसूल किये जावेंगे।

श्री. पी. शर्मा
(कार्यालय नगर निगम)
कार्यालय नगर निगम

7. अनुज्ञापत्रधारी को इन विज्ञापन पट्टों पर केवल सिनेमा फिल्मों के पोस्टर लगाने का अधिकार होगा। अश्लील भद्दे पोस्टर लगाना पूर्णतः वर्जित होगा अन्यथा अनुज्ञापत्रधारी के हर्जे-खर्च पर निगम उसे हटवा देगा। लाईसेंस अवधि के दौरान अनुज्ञापत्रधारी को निगम की विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 का पालन करना होगा।
8. अनुज्ञापत्रधारी को यह दायित्व होगा की वह विज्ञापन पट्ट को मजबूती से स्थापित करें ताकि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे आधी, तुफान आदि की स्थिति में पट्ट गिरे नहीं। पट्ट इस प्रकार लगाया जावे कि साईट का कोई भाग पट्ट से बाहर नहीं निकले तथा इससे यातायात में कोई बाधा न हो एवं स्ट्रेकचर सफेद रंग से अच्छी हालत में रहें।
9. उन पट्टों पर नियोन/विधुत चलित प्रकाशित बोर्ड नहीं बनाया जायेगा।
10. अनुज्ञापत्रधारी को जयपुर नगर निगम की विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 द्वारा प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना होगा।
11. लाईसेंस की अवधि समाप्त होने पर साईट स्थल पर निगम का कब्जा माना जावेगा तथा अवधि समाप्ति के बाद यदि स्थल पर साईट/बोर्ड लगा रहता है तो निगम द्वारा उसे जप्त किया जायेगा।
12. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि कोई बोर्ड गिर जाते हैं तो उन्हें 24 घण्टे के अंदर-अंदर हटाना होगा अन्यथा निगम द्वारा स्वयं हटाकर उसका हर्जे-खर्च वसूलने का निगम को पूरा अधिकार होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारी को इन शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी एवं इसमें से किसी भी शर्त का उसके द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त करने, क्षतिपूर्ति वसूलने तथा अनुज्ञाधारी की समस्त साईटों तत्काल हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. किन्हीं अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक हित में यदि आवश्यक हुआ तो निगम को बिना सूचना के किसी भी विज्ञापन पट्ट को हटाने, कम करने, स्थान परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। स्थान परिवर्तन निर्देशानुसार स्वयं अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा। यदि कोई साईट हटायी/कम की जायेगी तो उसकी अनुमानित राशि अनुज्ञापत्रधारी को लौटाई जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई हर्जे-खर्च नहीं दिया जायेगा।
15. ऐसे पट्टों पर पोस्टर लगाने की पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी। सरकारी बांधा के अलावा अन्य किसी बांधा के लिए निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बोर्ड की सुरक्षा का पूरा दायित्व स्वयं अनुज्ञापत्रधारी का होगा।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी समय परिवर्तन/संशोधन का अधिकार निगम में निहित होगा तथा ऐसा परिवर्तन/संशोधन सभी को मान्य होगा।
18. लाईसेंस स्वीकृति के पश्चात् अगर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार कोई कर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगाती है तो वह लाईसेंसी को ही देना होगा, निगम इसका वहन नहीं करेगी।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर